कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1336 / **FP/UK/WATER/40701/2019** दिनॉकःदेहरादून 5 **नवम्बर 2020**

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।

विषयः–जनपद– देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला में सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु अवस्थापना पुर्नवास खण्ड, ऋशिकेष को प्रत्यावर्तन। FP/UK/WATER/40701/2019

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, के EDS दिनांक 09–09–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 09–09–2020** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	There is a discrepancy in the number of trees to be removed given in online from at column No. 4 (II) of Part- II in this column only 5860 trees have been shown instead of 6078 for mussoorie FD and similarly for Dehradun forest division the number of trees has been shown online is 2608 instead of 2703.	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि में आरक्षित वन भूमि पर 1819 वृक्ष तथा सिविल सोयम भूमि पर 789 वृक्ष कुल 2608 प्रभावित होने वाले वृक्षों को ही ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड किया गया है। शेष 95 वृक्ष नाप भूमि पर अवस्थित है। उक्त के फलस्वरूप ही ऑनलाईन व हार्ड कॉपी में दर्शित वृक्षों में अन्तर परिलक्षित हो रहा है।
2	Approved CAT plan from the competent authority may be uploaded on the Parivesh portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वांछित कैट प्लान राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। अनुमोदन उपरान्त अनुमोदित कैट प्लान पृथक से प्रेषित किया जायेगा।
3	As per the land use plan 2.5576 ha land has been proposed for colony on Forest Land. Therefore, this activity may either be shifted on non-forest land or a certificate in respect of non-availability of forest land for colony may be submitted.	वन भूमि के अतिरिक्त गैर वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन पार्ट–1 के एडिशनल इनफॉरमेशन में अपलोड़ कर दी गयी है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
5/11/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

o/c